

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गैरसँण**

Phone No/ Fax No: 01363.278533

Mail: eecdgairsain@rediffmail.com

पत्रांक 937 / 1एल.ए.
सेवा में,

दिनांक 24 / 07 / 2018.

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली के अन्तर्गत ब्लाक गैरसँण में मालकोट - कालीमाटी - सेरा से तिवाखर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.627 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या 08 बी०/यू०सी०पी०/०६/४७/२०१६/एफ०सी०/१८८७, दिनांक १३/०२/२०१८.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि इस खण्ड के अन्तर्गत उक्त मार्ग पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। अधिरोपित ६ शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है।

- 1 शर्त संख्या ०१ के अनुपालन में प्रस्तावित प्रत्यावर्तित भूमि के बदले ३.२५४ हे० ग्राम कालीमाटी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके १० वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु० ८,२४,३४२.०० मात्र (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) वन विभाग के पक्ष में NEFT/ RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA, APPLICATION NO. ROAD 6110152832 Date 03/07/2018 द्वारा धनराशि जमा कर दी गई है। भुगतान चालान की प्रति संलग्न है। उक्त सिविल भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया गया है। जिलाधिकारी महोदय, चमोली का पत्र संलग्न है।
- 2 शर्त संख्या ०२ के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या ५-३ / २००७-एफ०सी० दिनांक ०५/०२/२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी० की धनराशि रु० १३,७४,८१५.०० मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA, APPLICATION NO. ROAD 6110152832 Date 03/07/2018 द्वारा एन.पी.वी. की शुद्ध वर्तमान धनराशि जमा कर दी गई है। भुगतान चालान की प्रति संलग्न है।
- 3 शर्त संख्या ०३ में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी, जिसका की प्रमाण पत्र संलग्न है।
- 4 शर्त संख्या ०४ के अनुपालन में सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वेब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम से ऑनलाइन बैंक में जामा किया गया है। चालान की प्रति संलग्न है।
- 5 शर्त संख्या ०५ में सड़क निर्माण के पश्चात दोनों किनारों तथा Central Verge पर इस खण्ड द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantaiton की जायेगी। वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
- 6 Upload geo referenced digital map proposed for diversion onlie at para C (iv) part - I.

पूर्व में इस खण्ड द्वारा हार्ड कापी भारत सरकार को प्रेषित की गई है, जिसके अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई अतः उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें, जिससे मार्ग में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
गैरसँण।

पत्रांक / तददिनांकित।
प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियन्ता महोदय, ७वें वृत्त, लो०नि०वि०, गोपेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
गैरसँण।

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Agency Name.	PWD CD GAIRSAIN
Application No.	6110152832
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division PWD GairsainChamoli
Amount(in Rs)	2199157/-

Amount in Words: Twenty-One Lakh Ninety-Nine Thousand One Hundred and Fifty Seven Rupees Only.

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896110152832
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- After making successful payment, User Agencies may send
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

सहायक अभियन्ता
निर्माण खाण्ड, लॉ.नि.वि.
गैरसैण (वगोली)

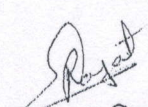


प्रारूप-51

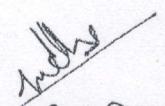
परियोजना विवरण :- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में मालकोट-कालीमाटी-सेरा से तिवाखरक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.627 हे० का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.000 कि०मी०।

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

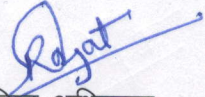

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

छायाप्रति सत्यापित


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
गैरसैण (चमोली)

“Central Verge का प्रमाण – पत्र”

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां – जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों पर प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देख – रेख में **strip plantation** किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
गैरसैंण



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
गैरसैंण



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
गैरसैंण

प्रारूप-30

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)
Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

Dated 12-03-15

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 1-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.627 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Gairsain for construction of Malkot-Kalimati-Saira-Tiwakhark motor road in Chamoli district falls within jurisdiction of Kalimati, Saira and Tiwakhark villages in Gairsain tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.627 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

अयाप्रति सत्यापित


सहायक अभियन्ता
निर्माण सफ, नो.वि.वि.
मैसिंग (पगोली)

प्रारूप-30

अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

Dated 15-03-15

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 8-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Rights (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for rest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of projects, it is certified that 1.627 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Gairsain for uction of Malkot-Kalimati-Saira-Tiwakhark motor road in Chamoli district falls within jurisdiction of Kalimati, and Tiwakhark villages in Gairsain tehsil.

Further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.627 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण सचिव, लोकनिर्माण
मैरसैण (दमोली)

FORM-II
(for projects other than linear projects)
Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No----

Dated-13-02-15

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guide lines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 1.627 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Gairsain for construction of Malkot-Kalimati-Saira-Tiwakhark motor road in Chamoli district falls within jurisdiction of Kalimati, Saira and Tiwakhark village in Gairsain tehsil. It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.627 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of Kalimati, Saira and Tiwakhark villages is enclosed.
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

1. As above.




(Full name and official seal of the District Collector)

छयाप्रति सत्यापित


 सहायक अधीक्षक
 निर्माण कार्य, लोनिवि
 चैरसेन (चमोली)

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashok Kumar I.A.S deputy commissioner, Chamoli on dated 13.08.15 at time 11:00 AM at Gopeshwar in which application claiming rights in Gairam area measuring 627 hect for the construction of Malkot-Kalimati-Saira-Tiwakhark motor road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Kalimati-Tiwakhark sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

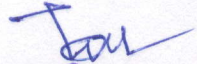
After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

By: Gopeshwar

Dated: 13.08.15

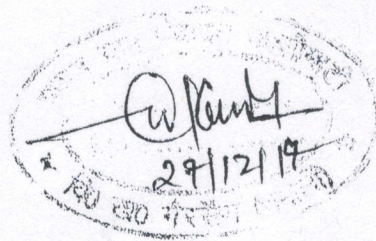

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

छायाप्रति सत्यापित


सहायक अभियन्ता
निर्माण खाण्ड, जोगिनीदि
गैरसैंग (बनोली)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

हम समस्त ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि पीठ डल्ला बी० द्वारा
बनाये जा रहे जोरभारी किसी भी ग्रामवासी व जनप्रतिनिधि
को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।



1- Sant
बनाये जा रहे जोरभारी

20- राजेश सिंह

21- Pranav

2- नन्द सिंह

22- सुरेन्द्र सिंह

3- मनमोहन

23- केशव

4- Pranav

24- निमेष

5- Pranav

25- नागेश

6- पुष्पा म. सिंह

26- सुन्दर सिंह

7- Pranav

27- Pranav

8- शमल सिंह

28- Pranav

9- दलपत सिंह

29- केशव

10- Narinder Singh

30- हंसी देवी

11- Pranav

31- सुलोक देवी

12- गोविन्द सिंह

32- Pranav

13- Pranav

33- Pranav

14- Pranav

34- पुष्पा देवी

15- अनार सिंह

35- देवी देवी

16- Pranav

36- बालक सिंह

17- Pranav

37- कलश सिंह

18- देवी देवी

38- कमला देवी

39- राजमणी देवी

40- सुलोक देवी

41- पुष्पा देवी

43- Jeet Singh

44- Wajay Singh

45- Meera Singh

46- Pranav

47-

48-

49-

50-

छायाप्रति सत्यापित

Pranav
सहायक अभियन्ता
निर्माण कार्य, लोकनिर्माण
मैसूरम (ग्रामवासी)

प्रारूप-30.2

परियोजना विवरण :- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में मालकोट-कालीमाटी-सेरा से तिवाखरक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.627 हे० का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.000 कि०मी०।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गैरसैण
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, गैरसैण

उपखण्ड ~~गैरसैण~~ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ~~प्रमाण-पत्र~~ कालीमाटी तिवाखरक मोटर मार्ग हेतु 0.070 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.472 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.85 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.627 हे० वन भूमि का ~~लोक निर्माण विभाग~~ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील ~~गैरसैण~~) की दिनांक ~~28-02-15~~ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ~~विष्णु सिंह~~ उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री ~~किशन सिंह नेगी~~ उपजिलाधिकारी ~~अध्यक्ष~~
- 2- श्री ~~सुरेन्द्र लाल~~ उप प्रभागीय वनाधिकारी ~~सदस्य~~
- 3- श्री ~~सुरेन्द्र लाल~~ सहायक समाज कल्याण अधिकारी ~~सदस्य/सचिव~~
- 4- श्री ~~वी०डी०वी०~~ ~~सदस्य~~
- 5- श्री ~~गोविन्द सिंह~~ ~~सदस्य~~

अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के निर्माण हेतु 1.627 हे० वन भूमि परियोजना

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ~~गैरसैण~~ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ~~गैरसैण~~ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ~~मालकोट कालीमाटी सेरा~~ परियोजना के निर्माण हेतु 1.627 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में स्वामित्व प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-
जनपद-

निलिपि : जिलाधिकारी, ~~चमोली~~ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अध्यापति सत्यापित

सहायक अभियन्ता

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-
जनपद-

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम— जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में मालकोट-कालीमाटी-सेरा-तिवाखर्क मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 3.00 किमी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कालीमाटी

तहसील गैरसैण, जिला—चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मालकोट-कालीमाटी परियोजना के निर्माण हेतु (0.070) हे० आरक्षित वन भूमि, 1.085 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.42 हे० वन पंचायत भूमि ----- हे०) अर्थात् कुलहे० वन भूमि का लो० नि० वि० विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कालीमाटी द्वारा दिनांक 05/02/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कालीमाटी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

अनापत्ति सत्यापित

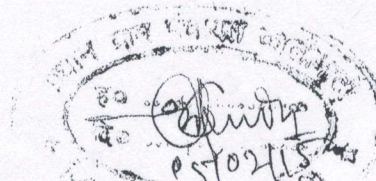
Ja
सहायक अभियंता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
गैरसैण (चमोली)

ह०/-

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह०/-

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित



प्रारूप-30.4

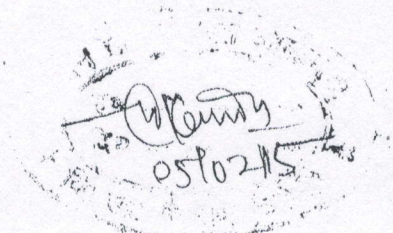
दिनांक 05/02/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कालीमटी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गजसिंह सिंह अध्यक्ष ग्राम सभा	गजसिंह सिंह
2	सुरेन्द्र सिंह	सुरेन्द्र सिंह
3	कचन सिंह	कचन सिंह
4	बलराम सिंह	बलराम सिंह
5	मोहन सिंह	मोहन सिंह
6	मनोहर सिंह	मनोहर सिंह
7	चन्दर सिंह	चन्दर सिंह
8	हिमालय सिंह	हिमालय सिंह
9	राजेश्वर सिंह	राजेश्वर सिंह
10	अवतार सिंह	अवतार सिंह
11	वीरेश्वर सिंह	वीरेश्वर सिंह
12	देवान सिंह	देवान सिंह
13	मंगल सिंह	मंगल सिंह

ह0/-

ग्राम प्रधान



[Signature]
R.S.S. - Kalamati

[Signature]
R.S.S. - Kalamati

छायाप्रति सत्यापित

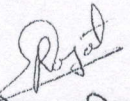
[Signature]
सहायक अभियन्ता
निर्माण कार्य, जोधपुर
मैसूरन (बगोली)

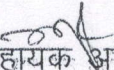
प्रारूप-34

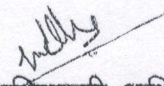
परियोजना विवरण :- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में मालकोट-कालीमाटी-सेरा से तिवाखरक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.627 हे० का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.000 कि०मी०।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

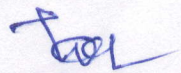
प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

छायाप्रति सत्यापित

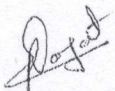

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
गैरसैण (चमोली)

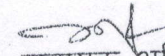
प्रारूप-39

परियोजना विवरण :- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में मालकोट-कालीमाटी-सेरा से तिवाखरक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.627 हे० का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.000 कि०मी०।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र

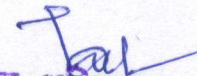
प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

छायाप्रति सत्यापित


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
गैरसैण (चमोली)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि राज्य योजना के अन्तर्गत ~~ग्राम खण्ड लो० नि० वि०~~ ~~गैरसैण, चमोली~~ के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/ मक डिस्पोजल प्रस्तावित की गई है। उस प्रयोजना हेतु मेरी मि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

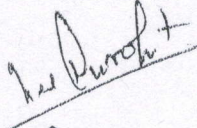
उपरोक्त के अतिरिक्त भी यदि किसी भी अन्य ग्रामवासी की भूमि क्त प्रयोजन हेतु ली जाती है तो ग्राम सभा यह वचन देती है कि उक्त मि बिना किसी आपत्ति के विभागीय दरों में उपलब्ध करा दी जायेगी।

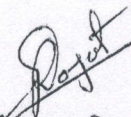
कंपा राई
नाम- ~~कंपा राई~~ ~~कंपा राई~~ ~~कंपा राई~~
ग्राम- ~~कंपा राई~~ ~~कंपा राई~~ ~~कंपा राई~~

ग्राम प्रधान

केशन पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु सिविल भूमि ग्राम- पटवारी वल्लु
तहसील जिला के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है।

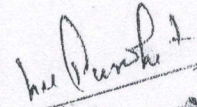
खण्ड	खाता खतौभी नं०	खसरा नम्बर	लिया गया रक्बा	भूमि
	2	3	4	5
	2	107	0.053	


अमीन
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
गैरसैण, चमोली।

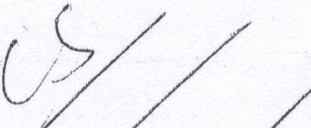

कनिष्ठा अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
गैरसैण, चमोली।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
गैरसैण, चमोली।


अधिकांसी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
गैरसैण, चमोली।


पटवारी क्षेत्र - ~~लो० नि० वि०~~


तहसीलदार
गैरसैण।


उपजिलाधिकारी
गैरसैण।

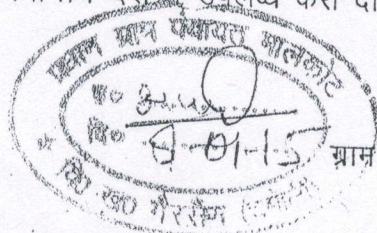
छायाप्रति सत्यापित


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
गैरसैण (चमोली)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि राज्य योजना के अन्तर्गत मालकोट रोड, लोवावा, मोती मार्ग से ग्राम मालकोट के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/ मक डिस्पोजल प्रस्तावित की गई है। उस प्रयोजना हेतु मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

उपरोक्त के अतिरिक्त भी यदि किसी भी अन्य ग्रामवासी की भूमि उक्त प्रयोजन हेतु ली जाती है तो ग्राम सभा यह वचन देती है कि उक्त भूमि बिना किसी आपत्ति के विभागीय दरों में उपलब्ध करा दी जायेगी।



ग्राम प्रधान

नाम- श्री हरमन सिंह शेखावत S/o
ग्राम- मालकोट रोड
ग्राम मालकोट
चमोली

सैक्शन लाइटर पुर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु सिविल भूमि ग्राम- मालकोट पटवारी वृत्त लाइटर तहसील गैरसैण जिला चमोली के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	खता खतौनी नं०	जस्ता नम्बर	लिखा गया रकबा	भूमि
1	2	3	4	5
	07	676	0.016	

He Punch

अमीन

निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

Spash

कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

SPK

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

Wally

अधिरासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गैरसैण, चमोली।

He Punch

पटवारी क्षेत्र- लाइटर

CS

तहसीलदार

गैरसैण।

उपजिलाधिकारी

गैरसैण।

अन्याप्रति सत्यापित

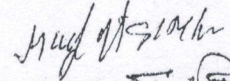
SPK

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गैरसैण (चमोली)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया किया जाता है, कि राज्य योजना के अन्तर्गत रा. योजना 2 सेरा रोवाखंड योजना से ग्राम सेरा रोवाखंड के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण / मक डिस्पोजल प्रस्तावित की गई है। उस प्रयोजना हेतु मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

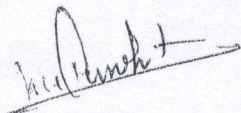
उपरोक्त के अतिरिक्त भी यदि किसी भी अन्य ग्रामवासी की भूमि उक्त प्रयोजन हेतु ली जाती है तो ग्राम सभा यह वचन देती है कि उक्त भूमि बिना किसी आपत्ति के विभागीय दरों में उपलब्ध करा दी जायेगी।

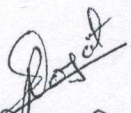

 नाम— हनुमान सिंह श्री मोहन सिंह
 ग्राम— सेरा

ग्राम प्रधान

सैक्शन पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु सिविल भूमि ग्राम— सेरा रोवाखंड पटवारी वृत्त सेरा रोवाखंड तहसील— सेरा रोवाखंड जिला— चम्पारण के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है:

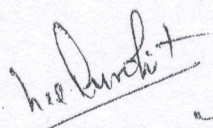
क्र.सं.	खाला कतौली नं०	खण्ड नं०	लिये गया रकबा	भूमि
1	2	3	4	5
	02	108	0.090	

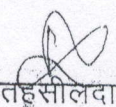

 अमीन
 निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
 गैरसैण, चमोली।

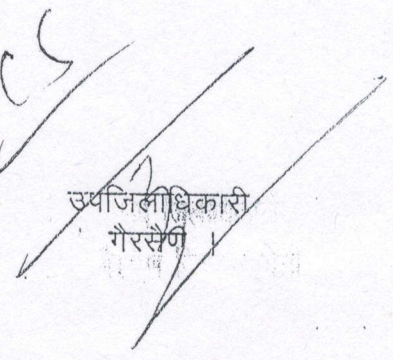

 कनिष्ठ अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
 गैरसैण, चमोली।

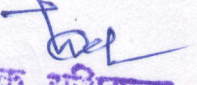

 सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
 गैरसैण, चमोली।


 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
 गैरसैण, चमोली।


 पटवारी क्षेत्र - लाटूगढ़


 तहसीलदार
 गैरसैण।


 उपजिलाधिकारी
 गैरसैण।

अनापत्ति सत्यापित

 सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
 गैरसैण (चमोली)

समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गैरसैंण (कार्यदायी संस्था)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नाप भूमिधर जिनकी भूमि मालाकोट- कालीमाटी-सेरा-तिवारखक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज वर्ष 2015 के फरवरी महीने की 2 तारीख को निष्पादित किया गया है।

- 1- यह सहमति हो गयी है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।
- 2- यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण / मक डिस्पोजल हेतु जायी जानी है। उनको वर्तमान सवीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा तथा भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग के नाम किया जायेगा।
- 3- यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर	नाम भूमिधर	पिता का नाम	हस्ताक्षर
नाम- इं0 के0सी0आर्या	1-		
पदनाम- अधिशासी अभियन्ता	2-		
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 गैरसैंण	3-		
	4-		
	5-		

1. S. G. - Lakshya

2. S. G. - Lakshya

3. S. G. - Lakshya

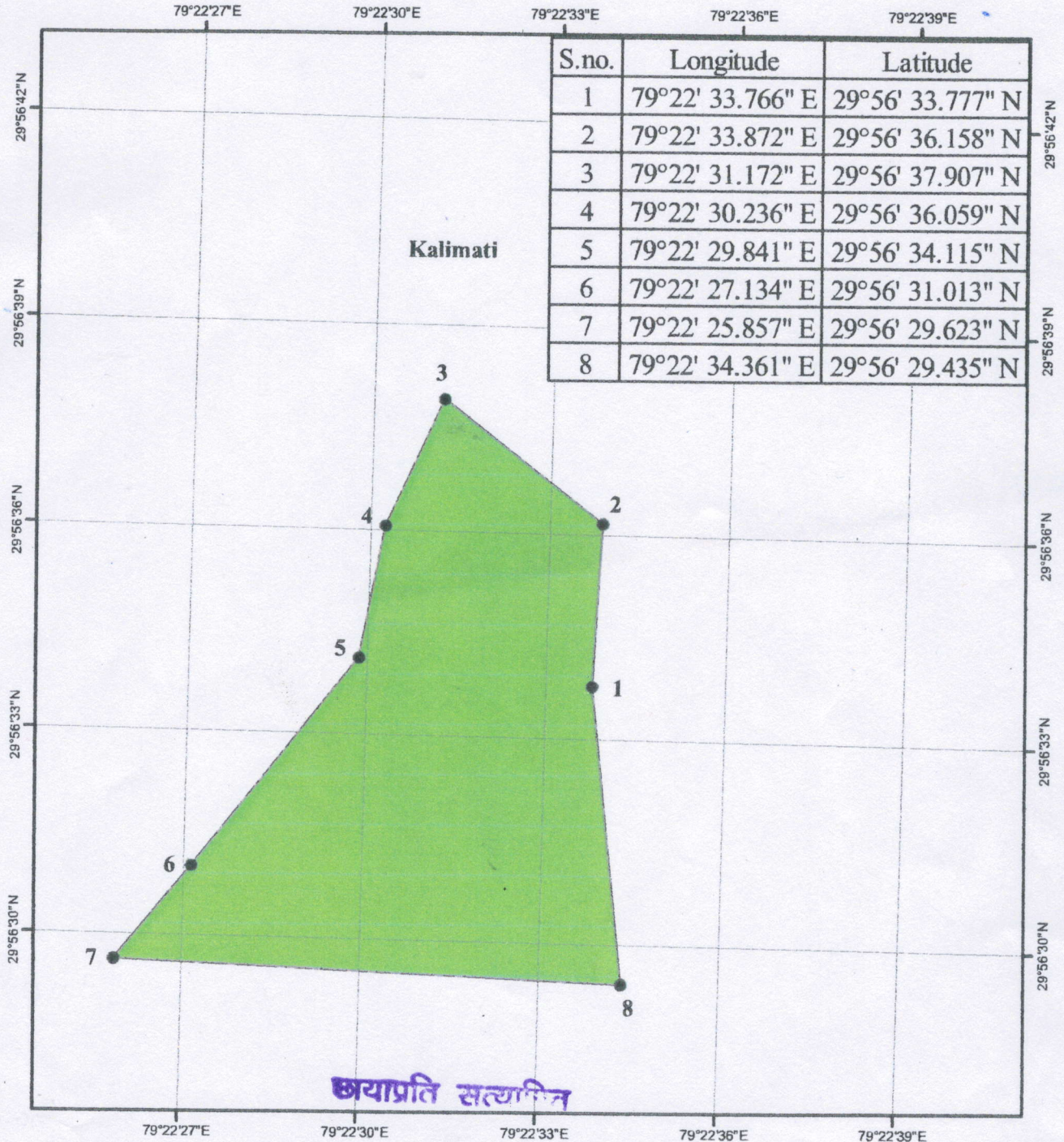
4. S. G. - Lakshya

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गैरसैंण (दमोली)

जियो रेफरेन्स मैप – जनपद चमोली के अन्तर्गत मालकोट-कालीमाटी-सेरा- तिवाखर्क
मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल कालीमाटी सिविल
(क्षेत्रफल – 3.254 है०)

0 0.05 0.1 0.2 Km

Scale - 1: 2,500



Legend

- GPS Co ordinates
- Proposed CA Land

Assistant Engineer
Construction Division
W.D Gairsain

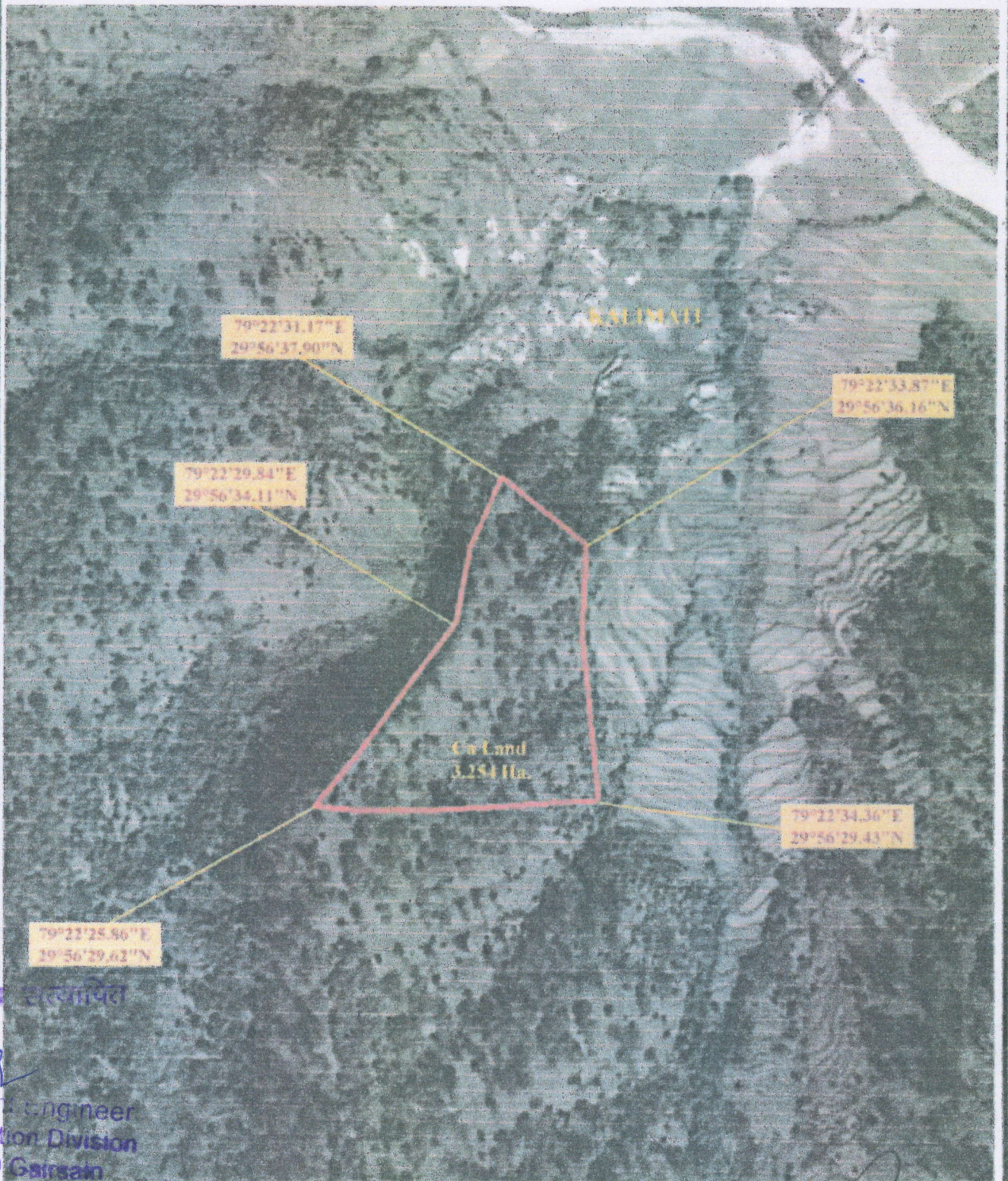
उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

सहायक अभियन्ता

अभियन्ता

उप अभियन्ता

डिजिटल मैप – जनपद चमोली के अन्तर्गत मालकोट – कालीमीटी – सेरा
– तिवाखर्क मोटर मार्ग का नवनिर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल
कालीमीटी सिविल (क्षेत्रफल – 3.254 है०)



छायाप्रति उत्पादित

W.D. Gairam
Assistant Engineer
Construction Division
W.D. Gairam

Legend



Proposed Plantation 3.254 Ha.

Assistant Engineer
Construction Division
W.D. Gairam

अभिशासक अभियन्ता
निर्माण एवं सार्वजनिक
कार्य (चमोली)

सिद्धि माइकल मेहता

2.1
30.10.2020
मेजर (गोपबन्ध)

79°25'0"E



Assistant Engineer
Construction Division
W.D. Garsam

जिलाधिकार
दफ्तरी

Proposed Road

Kedarnath Wildlife Division

Reserve Forest Area

78°20'0"E

Range Boundary

Kedarnath Wildlife Division Boundary

Reserve Forest Boundary

79°22'30"E

1

19

146

79°25'0"E

E 027 61

1

2



Main Attachment 1.4
79°21'20"E

जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गरसेन में
मलकोट-कालीमाटी-सेरा से तिवाखरक तक मोटर मार्ग का निर्माण (ल०-3.00 कि०मी०)

79°22'40"E

79°22'20"E

79°22'0"E

79°21'40"E



जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गरसेन में

79°21'20"E

79°21'40"E

79°22'0"E

79°22'20"E

79°22'40"E

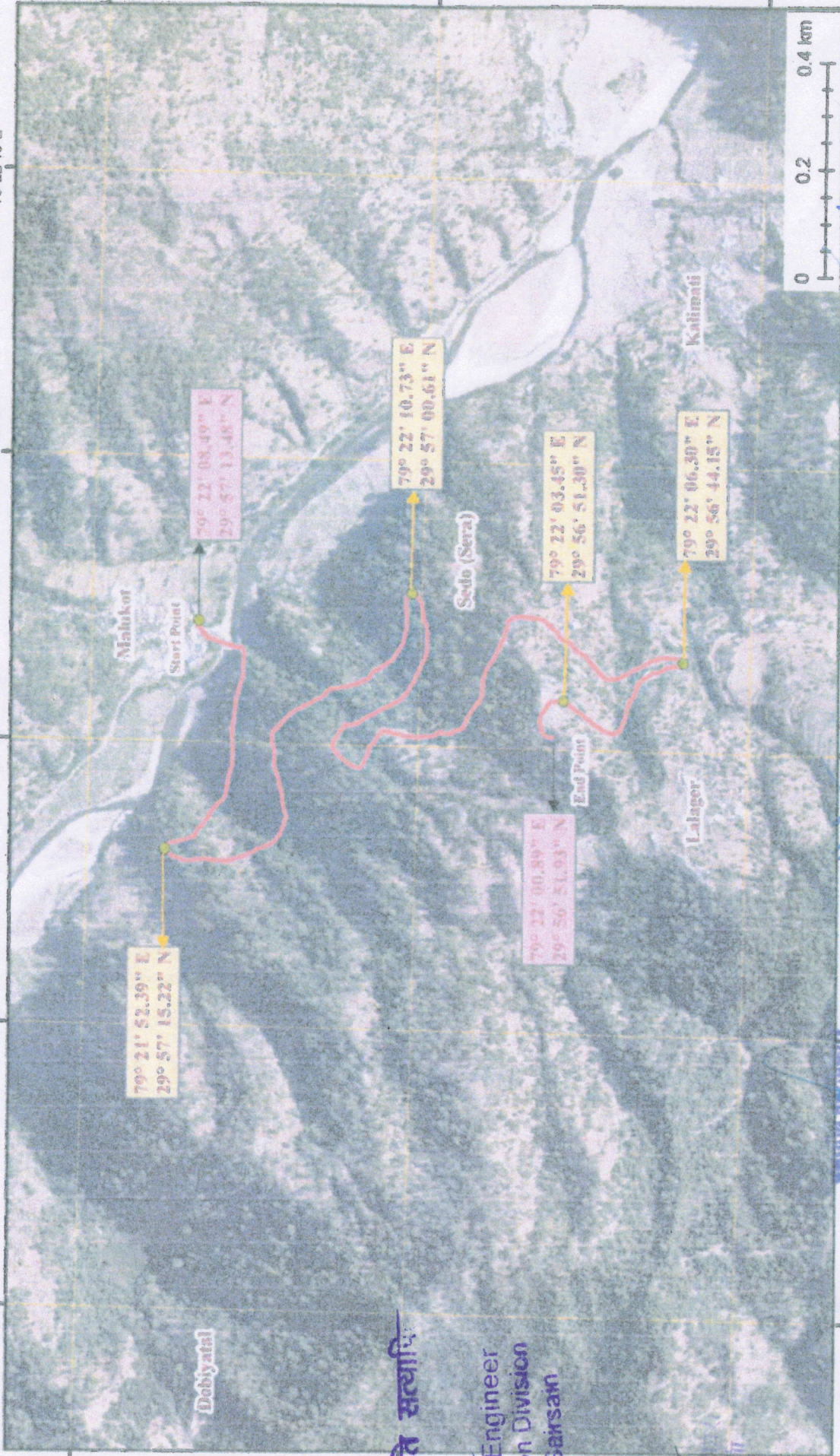
अपनीय कर्णप्रयाग
Proposed Road
Alternate Road

अपनीय कर्णप्रयाग
अपनीय कर्णप्रयाग

जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैन में
मलकोट-कालीमाटी-सेरा से तिवाखरक तक मोटर मार्ग का निर्माण (ल०-३.०० कि०मी०)

Muck Disposal Scheme
79°21'20"E

79°21'40"E 79°22'00"E 79°22'20"E



79°21'20"E

79°21'40"E

79°22'00"E

79°22'20"E

79°22'40"E

Proposed Road
Muck Dumping Site

— Proposed Road
● Muck Dumping Site

भूमि संवर्धन विभाग
भारत सरकार
नया दिल्ली

भूमि संवर्धन विभाग
भारत सरकार
नया दिल्ली

भूमि संवर्धन विभाग
भारत सरकार
नया दिल्ली

४. गैरसिमा (जर्मनी)

202/202